

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,
कैलाश झेडू पुत्र कोडामल जाति
बीकानेर बनाम प्रकाशचन्द वगैरह

मुकाम श्रीडुंगरगढ
तहसील श्रीडुंगरगढ जिला

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 75/2025 U/S 88,89,188RTA&131,136LRA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23.05.2025	<p>आज यह वाद कैलाश झेडू ने जरिये श्री पूनमचन्द मारु अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी व धारा 304 नगरपालिका अधिनियम प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 04.07.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">3 उपखण्ड अधिकारी श्रीडुंगरगढ</p>	
04.07.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादामय उपस्थित। SDO Sb. अत्र 21 प्रकार के प्रश्न होने के कारण पत्रावली वास्तु <u>Res. Adv. तलबी</u> हेतु दिनांक 11.08.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">रीडर</p>	
11-08-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील फरीकन उपस्थित। हेतु समय चाहिए। समय दिया जाकर पत्रावली वास्तु <u>Res. Adv. तलबी</u> आईन्दा दिनांक 01.10.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
23.9.2025	<p>आज यह पत्रावली वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री. पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी/अपील द्वारा श्री. पत्र पेश कर निवेदन किया कि मा. जमाना पत्रावली के अन्तर्गत अदालत की उरना से राजिनामा हो गया है, बाकिसे वादी अतगत सेवा में कोई उपबिधा नहीं पाएगा है। वादी द्वारा जो इन्सिस्टेन्स पर विद्वाबल में खारिज करवाना चाहता है। लिहाजा, अपील वादी द्वारा प्रस्तुत श्री. पत्र के आधार पर वादी वाद जरिये विद्वाबल में खाना सत्त पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तलब मालिकी वाजिब नम्बर 75/2025 को अहकाम में देकर शामिल करता हों।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p>उपखण्ड अधिकारी श्रीडुंगरगढ (बीकानेर)</p>	<p style="text-align: center;">[Signature] कैलाशचन्द्र 487 [Signature]</p> 